न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 24/2023
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

श्री राकेश कुमार पुत्र कुलजस राम, निवासी वार्ड नं. 09 लखूवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज0)

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः–1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 श्री राकेश कुमार अप्रार्थी स्वयं।

–:निर्णयः–

दिनांकः –22.01.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 27.10.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ हमराह कार्यालय स्टाफ लखूवाली पर स्थित दुकान पर राकेश कुमार पुत्र कलुजस राम, लखूवाली स्थित आवास/दुकान में पेट्रोल–डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर राकेश कुमार की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 15 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 80 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 पम्प हस्तचालित, 1 कीप लोहे की 10,5,2 लीटर के 1–1 माप, रखें पाये गये। मौके पर आवास/दुकान मालिक राकेश कुमार उपस्थित मिला जिसके द्वारा उक्त आवास/दुकान पर डीजल व पेट्रोल बेचने का कार्य किया जाता है एवं मौके पर पाया गया सामान दुकान में पेट्रोल–डीजल विक्रय कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर राकेश कुमार द्वारा उनके पास पेट्रोल–डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। चुकि बिना सक्षम स्वीकृति पेट्रोल–डीजल का व्यापार करना मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल आदेश 2005 के क्लॉज 4 स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन है। मौके पर आवास/दुकान में पेट्रोल–डीजल का अवैध कारोबार स्पष्ट होने पर 15 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 80 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 पम्प हस्तचालित, 1 कीप लोहे की 10,5,2 लीटर के 1–1 माप, श्री पताराम पुत्र लक्ष्मण राम मै. लक्ष्मण निवासी नौरगंदेसर सुपुर्द किया गया। चुंकि श्री राकेश कुमार पुत्र कुलजस निवासी वार्ड नं. 09 लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ का उक्त कृत्य मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लघंन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 15 लीटर डीजल [illegible] स्टिक ड्रम, 80 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 पम्प हस्त[illegible] 1–1 माप, को राजसात करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को [illegible] 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस [illegible]री किया गया। जब्तशुदा [illegible] ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 07.11.2023 को दिये जा चुके है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी की एक फर्म कालड़ा बिल्डिंग मेटरियल के नाम से गांव लखूवाली में स्थित है। जिससे प्रार्थी अपना गुजारा करता है। जिसमें निर्माण के समय वायो वेटर मशीन का उपयोग करने पर उसमें पेट्रोल डाला जाता है। उसके अलावा प्रार्थी के पास मोटरसाईकिल वगैरा साधन भी जिसमें भी पेट्रोल का उपयोग होता है। इसी लिए प्रार्थी ने उक्त 80 लीटर पेट्रोल एक साथ खरीद किया था। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने ट्रेक्टर में डालने के लिए उक्त 15 लीटर डीजल खरीद किया गया था। प्रार्थी के नजदीक कोई पेट्रोल पम्प स्थित नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी के द्रव्य जब्त की कुल कार्यवाही गलत व निराधान है। प्रार्थी का आशय उक्त द्रव्य का कोई दुरूपयोग व बेचान करने का नही था। प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की किसी शर्त का उल्लंघन नही किया गया है। प्रार्थी सद्भावी है। अतः नोटिस का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही खारिज फरमाई जावे तथा प्रार्थी से जब्त शुदा डीजल व पेट्रोल वापिस लौटाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 15 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 80 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 पम्प हस्तचालित, 1 कीप लोहे की 10,5,2 लीटर के 1–1 माप, के साथ जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। लाईसेंस, परमिट के अभाव में जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान आदि अवैध भण्डारण एवं कारोबार है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया किः–

1. स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय साथ में लोहे के माप, कीप भी पाये गये। जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।
2. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा 15 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 80 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 पम्प हस्तचालित, 1 कीप लोहे की 10,5,2 लीटर के 1–1 माप, को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 07.11.2023 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.02.24 19:03:56 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज)